ग्राम पंचायत खड्ड, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018

भाग – एक

1 (क) **प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत खड्ड, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया 1

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान सचिव रहे1

प्रधान:-

क्रम संख्या	प्रधान का नाम	अवधि
1	श्री करनैल सिंह	1-04-2015 से 22-01-2016 तक
2	श्रीमती पूनम दत्ता	23-01-2016 से 31.3.18 तक

सचिव:-

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1	श्री सुरेश कुमार सैनी	1-04-2015 से 31.3.18 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत खड्ड के लेखाओं अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.75
2	6	अनुदान का उपयोग न करना	20.47
3	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय करना	5.36
4	8	उचित बिलों के बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	4.11
5	9	क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	1.41
6	10	निर्माण कार्यों "C/O Drain & R/O path mohalla Bali to Pond in ward no. 6 & 7" का कार्य निम्न गुणवत्ता का होना	3.00
7	11	निर्माण कार्यों "C/O Rasta mohalla vaidan to jyoti devi well" का कार्य निम्न गुणवत्ता	1.78

		का होना	
8	12 (क)	निर्माण कार्यों “R/O rasta Baba Sidh Chano Mandir to Bidhi chand” का कार्य निम्न गुणवत्ता का होना	1.83
9	13 (क)	निर्माण कार्यों “R/O road Hans Raj house to main road” का कार्य निम्न गुणवत्ता का होना	1.83
10	14	निर्माण कार्यों “C/O Nalli & R/O rasta near sham sunder house” में अधिक स्टील की मात्रा की खपत दर्शाना	0.05
11	15	लोकल बोर्ड में रूप में किये गए संदिग्ध भुगतान	0.77

भाग – दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत खड्ड, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 1-09-2018 से 10-09-2018 तक ग्राम पंचायत खड्ड में किया गया l लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया हैl

आय:- 3/16, 10/16 व 7/17

व्यय:- 10/15, 3/17 व 12/17

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया हैl पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उतरदायी नहीं होगाl

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत खड्ड, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-239 दिनांक 4-09-2018 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत खड्ड से अनुरोध किया गयाl जिसकी अनुपालना में सचिव ग्राम पंचायत खड्ड द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को पी० एन०बी० पंजाबर के बैंक ड्राफ्ट संख्या 801431 दिनांक 7-09-2018 के अंतर्गत निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 हिमाचल प्रदेश के नाम भेज दिया गया है l

4 **(क) वितीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत खड्ड द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं की संकलित वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट – क** पर भी दिया गया है I

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष

2015-16	2310373	2041415	91752	4443540	1995852	2447688
2016-17	2447688	7686121	164332	10298141	6402078	3896063
2017-18	3896063	4267789	164740	8328592	4998198	3330394

(i) स्वयं स्त्रोत्र:-

ग्राम पंचायत खड्डु द्वारा **परिशिष्ट – क-1** पर अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक स्वयं स्त्रोतों की वितीय स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

वितीय वर्ष	**आरम्भिक शेष**	**आय**	**ब्याज**	**कुल योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2015-16	964845	77788	80663	1123296	153827	969469
2016-17	969469	109226	150716	1229411	547533	681878
2017-18	681878	222342	150716	1054936	63507	991429

(ii) अनुदान:-

ग्राम पंचायत खड्डु के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के अनुदानों की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट – क – 2** पर भी दिया गया है l

वितीय वर्ष	**आरम्भिक शेष**	**आय**	**ब्याज**	**कुल योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2015-16	1064251	1457281		2521532	1292968	1228564
2016-17	1228564	5247245		6475809	3675567	2800242
2017-18	2800242	2259327		5059569	3012571	2046998

iii) स्वच्छ भारत मिशन :-

ग्राम पंचायत खड्डु के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के स्वच्छ भारत मिशन की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट –क–3** पर भी दिया गया है

वितीय वर्ष	**आरम्भिक शेष**	**आय**	**ब्याज**	**कुल योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2015-16	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	730500	0	730500	648000	82500
2017-18	82500	172800	2986	258286	231300	26986

(iv) आई० ए० वाई० :-

ग्राम पंचायत खड्डु के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के आई० ए० वाई० की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट – क – 4** पर भी दिया गया है

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	19857	37500	993	58350	40800	17550
2016-17	17550	77500	876	95926	0	95926
2017-18	95926	207500	2129	305555	285000	20555

v) आई० डब्लयू० एम० पी० – V:-

ग्राम पंचायत खड्डु के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के आई० डब्लयू०एम०पी०-V की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट –क–5** पर भी दिया गया है

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	43729	28163	1293	73185	67151	6034
2016-17	6034	175000	3561	184595	184328	267
2017-18	267	0	0	267	0	267

vi) हरियाली लोअर अंशदान :-

ग्राम पंचायत खड्डु के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के हरियाली लोअर अंशदान की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट – क-6** पर भी दिया गया है

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	118104	0	4785	122889	0	122889
2016-17	122889	0	4989	127878	0	127878
2017-18	127878	0	4842	132720	0	132720

vii) हरियाली अप्पर अंशदान :-

ग्राम पंचायत खड्डु के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के हरियाली अप्पर अंशदान की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट –क-7** पर भी दिया गया है

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	99164	0	4018	103182	0	103182
2016-17	103182	0	4190	107372	0	107372
2017-18	107372	0	4067	111439	0	111439

viii) मनरेगा:-

ग्राम पंचायत खड्ड के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के मनरेगा की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट – क – 8** पर भी दिया गया है

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	423	440683	0	441106	441106	0
2016-17	0	1346650	0	1346650	1346650	0
2017-18	0	1405820	0	1405820	1405820	0

अन्त शेष का विवरण:-

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-03-2018 को रोकड़ बहियों व बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	निधि का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	बैंक में जमा शेष राशि	अन्तर
1	स्वंय स्त्रोत व अनुदान	के० सी० सी० सी० बी० हरोली	200480032711	3038427	2695593	228 (हस्तगत रोकड़)
		के० सी० सी० सी० बी० पंजाबर	20067016378		342606	
2	स्वच्छ भारत मिशन	के० सी० सी० सी० बी० पंजाबर	50065169186	26986	26986	
3	आई .ए.बाई.	के० सी० सी० सी० बी० हरोली	20048032381	20555	20555	
4	आई० डब्लयू० एम० पी० – V	पी.एन.बी. पंजाबर	2914000111134779	267	1	266 (हस्तगत रोकड़)
5	हरियाली लोअर अंशदान	पी.एन.बी. पंडोगा	52028	132720	132720	
6	हरियाली अप्पर अंशदान	पी.एन.बी. पंडोगा	1733000100052019	111439	111439	
7	मनरेगा	पी.एन.बी. पंडोगा	1733001700003430	0	0	
			योग	**3330394**	**3329900**	**494**

(ख) बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था I परन्तु पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना पूर्ण रूप में नहीं की जा रही हैI लेखांकन के मूलभूत नियमों के अनुसार बैंक समाधान विवरणी का प्रतिमाह बनाया जाना आवश्यक हैI लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी प्रति माह तैयार नहीं की गई है I अतः बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक माह के अंत में बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए I

(ग) रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालना:-

लेखांकन के नियमों के अनुसार रोकड़ बही में हुए लेनदेन की प्रविष्टियों को करने उपरान्त प्रत्येक दिन का आरम्भिक शेष दैनिक आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष निकालना आवश्यक है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बही के रख रखाव में इनका अनुपालन नहीं किया है 1 अतः रोकड़ बहियों में दैनिक, मासान्त एवं वर्षान्त में आरम्भिक शेष, आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष न निकालने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में रोकड़ बहियों में दैनिक, मासान्त एवं वर्षान्त में आरम्भिक शेष, आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष निकाले जाने सुनिश्चित किए जाए 1

(घ) नियमविरुद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान हैI परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्तमान में अलग -अलग सात रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है I अतः नियमों के **विरुद्ध** एक के स्थान पर सात रोकड़ बहियों का रख रखाब करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए नियमानुसार एक ही रोकड़ बही का अनुरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए I

(ड.) वर्गीकृत सार तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार तैयार करते हुए आय तथा व्यय को दो भागों में बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगीI इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है I परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाये जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ सम्भव न हो सकाI अतः बर्गीकृत सार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाएI

5 पंचायत राजस्व ₹0.75 लाख वसूली हेतु शेष:-

(i) सचिव ग्राम पंचायत खड्ड द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-03-2018 तक पंचायत राजस्व ₹74800 वसूली हेतु शेष था जिसका विवरण **परिशिष्ट – ख** पर भी दिया गया है1

(क) गृहकर:-

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	19420	19400	38820	1160	37660
2016-17	37660	39340	77000	0	77000
2017-18	77000	46600	123600	108200	15400

(ख) किराया (Rent):-

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	29700	59400	89100	29700	59400
2016-17	59400	59400	118800	59400	59400
2017-18	59400	59400	118800	59400	59400

क्रम संख्या (क) व (ख) का कुल योग (15400+59400) = ₹74800

उपरोक्त क्रम संख्या (क), (ख) पर उल्लेखित कम वसूली ₹74800 का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 243 दिनांक 4-09-2018 को सचिव ग्राम पंचायत खड्ड के ध्यानार्थ लाया गयाI लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया I अतः उपरोक्त उल्लेखित गृहकर वपट्टा किराया (lease rent) के रूप में पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि की वसूली अविलम्ब की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए l

6 **अनुदान ₹20.47 लाख का उपयोग न करना:-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट-क -2** के अनुसार दिनांक 31-03-2018 तक अनुदान ₹2046998 उपयोग हेतु शेष थीl ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों को स्वीकृति पत्रों की शर्तों के अनुसार विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ाl अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभागों को किया जाएl

7 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹5.36 लाख की निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय करना:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैंl व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट -ग** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹536203 की निर्माण सामग्री व अन्य सामान का

क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है I अतः निर्माण सामग्री का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 उचित बिलों के बिना ₹4.11 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना:-

जाँच के दौरान पाया गया कि स्वंय स्त्रोत व अनुदान निधि से **परिशिष्ट- घ** पर दिए गए विवरणानुसार ₹410850 की निर्माण सामग्री का क्रय किया गया, लेकिन उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बना कर भुगतान किया गया है । अतः उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व ₹410815 की क्रय की गई निर्माण सामग्री से सम्बन्धित आपूर्तिकर्तों से उचित बिल प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए ।

9 ₹1.41 लाख की क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना:-

जांच के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट-ड.** पर दिए गए विवरणानुसार राशि ₹140775 का सामान क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं हैI स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उक्त क्रय किए गए सामान के दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता हैI अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय किए गए सामान की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए I

10 निर्माण कार्य "C/O Drain & R/O path mohalla Bali to Pond in ward no. 6 & 7" लागत 3.00 लाख का कार्य निम्न गुणवत्ता का होना:-

जाँच के दौरान पाया गया कि चौदहवाँ वित्तायोग शीर्ष के अंतर्गत ग्राम पंचायत खड्डको C/O Drain & R/O path mohalla Bali to Pond in ward no. 6 & 7" के निर्माण कार्य हेतु ₹300000 का अनुदान प्राप्त हुआ है व उक्त कार्य का मूल्यांकन माप पुस्तिका संख्या – 9324 पेज संख्या 10 से 11 पर दर्ज है I माप पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य में मद संख्या – 2 providing and laying cement concrete in 1:6:12 की मात्रा 44.16 घन मीटर, मद संख्या – 3 providing and laying cement concrete in 1:2:4 की मात्रा 85 घन मीटर निष्पादित की गई दर्शाई गई है I निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप वास्तविक रूप से निष्पादित दर्शाई गई उक्त मदों की मात्रा हेतु ₹641 बैग सीमेंट प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित था, ताकि उक्त कार्य उच्च गुणवता व पी० डब्लयू० डी० द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हो सके, लेकिन उक्त कार्य हेतु केवल 465 बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप 176 बैग सीमेंट का कम प्रयोग उक्त कार्य में होने के कारण उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों व तय नियमों के अनुरूप नहीं है I अतः हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य न करवा कर निम्न गुणवता का कार्य करवाया गया प्रतीत होता है I उक्त निम्न

गुणवता के कार्य करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 240 दिनांक 4-09-2018 को सचिव ग्राम पंचायत खड्डु के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया I अतः उक्त निम्न गुणवता के कार्य करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए I

11 **निर्माण कार्य "C/O Rasta mohalla vaid to jyoti devi well" लागत 1.78 लाख का कार्य निम्न गुणवत्ता का होना:-**

जाँच के दौरान पाया गया कि चौदहवाँ वित्तायोग शीर्ष के अंतर्गत ग्राम पंचायत खड्डु को निर्माण कार्य "C/O Rasta Mohall avaid to jyoti devi well" हेतु 178000 का अनुदान प्राप्त हुआ है व उक्त कार्य का मूल्यांकन माप पुस्तिका संख्या - 9324 पेज संख्या पेज 6 व 7 पर दर्ज है I माप पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य में मद संख्या - 2 providing and laying cement concrete in 1:5:10 की मात्रा 7.08 घन मीटर, मद संख्या - 3 providing and laying cement concrete in 1:2:4 की मात्रा 49.85 घन मीटर निष्पादित की गई दर्शाई गई है I निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप वास्तविक रूप से निष्पादित दर्शाई गई उक्त मदों की मात्रा हेतु 337 बैग सीमेंट प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित था, ताकि उक्त कार्य उच्च गुणवता व पी० डब्लयू० डी० द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हो सके, लेकिन उक्त कार्य हेतु केवल 300 बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप 37बैग सीमेंट का कम प्रयोग उक्त कार्य में होने के कारण उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों व तय नियमों के अनुरूप नहीं है I अतः हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य न करवा कर निम्न गुणवता का कार्य करवाया गया हैI उक्त निम्न गुणवता के कार्य करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 240 दिनांक 4-09-2018 को सचिव ग्राम पंचायत खड्डु के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया I अतः उक्त निम्न गुणवता के कार्य करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए I

12 **निर्माण कार्य "R/O rasta Baba Sidh Chano Mandir to Bidhi chand" लागत ₹1.83 लाख का कार्य निम्न गुणवत्ता का होना:-**

(क) जाँच के दौरान पाया गया कि चौदहवाँ वित्तायोग शीर्ष के अंतर्गत ग्राम पंचायत खड्डु को निर्माण कार्य "R/O rasta Baba Sidh Chano Mandir to Bidhi chand" हेतु ₹183000 का अनुदान प्राप्त हुआ है व उक्त कार्य का मूल्यांकन माप पुस्तिका संख्या - 9324 पेज संख्या पेज 4 व 5 पर दर्ज है I माप पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य में मद संख्या - 2 providing and laying cement concrete in 1:2:4 की मात्रा 50.4 घन मीटर निष्पादित की गई दर्शाई गई है I निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप वास्तविक रूप से निष्पादित दर्शाई गई उक्त मदों की मात्रा हेतु 322 बैग सीमेंट प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित था, ताकि उक्त कार्य उच्च गुणवता व पी० डब्लयू० डी० द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हो सके, लेकिन उक्त कार्य हेतु केवल 300 बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप 22 बैग सीमेंट का कम प्रयोग उक्त कार्य में होने के कारण उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों व तय नियमों के अनुरूप नहीं है I अतः हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य न करवा कर निम्न गुणवता का

कार्य करवाया गया है I उक्त निम्न गुणवता के कार्य करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 240 दिनांक 4-09-2018 को सचिव ग्राम पंचायत खड्ड के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया I अतः उक्त निम्न गुणवता के कार्य करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व निष्पादित कार्य को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाएI

(ख) इसके अतिरिक्त उक्त कार्य हेतु ग्राम पंचायत द्वारा 10 ट्राली रेत व 16 ट्राली बजरी खपत की गई दर्शाई गई है I वार्तालाप / चर्चा अनुसार एक ट्राली में 3 घन मीटर रेत व बजरी की मात्रा होने के कारण उक्त कार्य हेतु 30 घन मीटर रेत व 48 घन मीटर बजरी खपत की गई हैI खपत कारक (consumption factor) के अनुसार उक्त कार्य हेतु 22.42 घन मीटर रेत व 44.85 घन मीटर बजरी का प्रयोग किया जाना अपेक्षित थाI फलस्वरूप 7.50 घन मीटर रेत ₹689 प्रति 3 घनमीटर की दर से ₹1722 व 3 घनमीटर बजरी ₹1845 प्रति 3 घनमीटर की दर से ₹1845 कुल ₹3567 की निर्माण सामग्री की अधिक खपत की गई प्रतीत होती है I उक्त अधिक खपत की गई निर्माण सामग्री का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 240 दिनांक 4-09-2018 को सचिव ग्राम पंचायत खड्ड के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया I अतः उक्त कार्य हेतु खपत कारक (consumption factor) के अनुसार खपत न दर्शाकर अधिक खपत की गई निर्माण सामग्री को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक खपत की गई निर्माण सामग्री की मूल्य ₹3567 की वसूली सम्बन्धित से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाएI

13 निर्माण कार्य "R/O road Hans Raj house to main road" लागत ₹1.83 लाख का कार्य निम्न गुणवत्ता का होना:-

(क) जाँच के दौरान पाया गया कि चौदहवाँ वित्तायोग शीर्ष के अंतर्गत ग्राम पंचायत खड्ड को "R/O road Hans Raj house to main road" हेतु 183000 का अनुदान प्राप्त हुआ है व उक्त कार्य का मूल्यांकन माप पुस्तिका संख्या - 9324 पेज संख्या पेज 3 व 4 पर दर्ज है I माप पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य में मद providing and laying cement concrete in 1:2:4 की मात्रा 49.5 घन मीटर निष्पादित की गई दर्शाई गई है I निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप वास्तविक रूप से निष्पादित दर्शाई गई उक्त मदों की मात्रा हेतु लगभग 317 बैग सीमेंट प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित था, ताकि उक्त कार्य उच्च गुणवता व पी० डब्लयू० डी० द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हो सके, लेकिन उक्त कार्य हेतु केवल 300 बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप 17 बैग सीमेंट का कम प्रयोग उक्त कार्य में होने के कारण उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों व तय नियमों के अनुरूप नहीं है I अतः हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य न करवा कर निम्न गुणवता का कार्य करवाया गया है I उक्त निम्न गुणवता के कार्य करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 240 दिनांक 4-09-2018 को सचिव ग्राम पंचायत खड्ड के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया I अतः उक्त निम्न गुणवता के कार्य

करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए I इसके अतिरिक्त निष्पादित कार्य को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाएI

(ख) उक्त कार्य हेतु ग्राम पंचायत द्वारा 10 ट्राली रेत व 16 ट्राली बजरी खपत की गई दर्शाई गई है I वार्तालाप / चर्चा अनुसार एक ट्राली में 3 घन मीटर रेत व बजरी की मात्रा होती है ब उक्त कार्य हेतु 30 घन मीटर रेत व 48 घन मीटर बजरी खपत की गई हैI खपत कारक (consumption factor) के अनुसार उक्त कार्य हेतु 22 घन मीटर रेत व 44 घन मीटर बजरी का प्रयोग किया जाना अपेक्षित थाI फलस्वरूप 8 घन मीटर रेत ₹689 प्रति 3 घनमीटर की दर से ₹1837 व 4 घनमीटर बजरी ₹1845 प्रति 3 घनमीटर की दर से ₹2460 कुल ₹4297 की निर्माण सामग्री की अधिक खपत की गई प्रतीत होती है I उक्त अधिक खपत की गई निर्माण सामग्री का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 240 दिनांक 4-09-2018 को सचिव ग्राम पंचायत खड्डु के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया I अतः उक्त कार्य हेतु खपत कारक (consumption factor) के अनुसार खपत न दर्शाकर अधिक खपत की गई निर्माण सामग्री को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक खपत की गई निर्माण सामग्री के मूल्य ₹4297की वसूली सम्बन्धित से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाएI

14 निर्माण कार्य "C/O Nalli& R/O rasta near sham sunder house" हेतु ₹5031 की अधिक स्टील की मात्रा की खपत दर्शाना:-

माप पुस्तिका संख्या - 9324 पेज 7 व 8 पर उक्त कार्य का मूल्यांकन किया गयाI माप पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य में मद संख्या - 2 providing and fixing steel की मात्रा 10.36 x 75 = 777 रनिंग मीटर निष्पादित की गई है I ग्राम पंचायत अभिलेखानुसार 10 एम एम स्टील का प्रयोग किया गया है I निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप 10 एम एम डाया सरिया का ₹0.62 किलोग्राम प्रति रनिंग मीटर भार होता है I उक्त कार्य हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 777 रनिंग मीटर स्टील के लिए ₹481.74 (777 x 0.62) किलोग्राम 10 एम एम सरिया खपत किया जाना अपेक्षित था I लेकिन उक्त कार्य हेतु 610.800 किलोग्राम 10 एम एम सरिया खपत किया गया दर्शाया है I फलस्वरूप 129 किलोग्राम सरिया अधिक खपत किया गया दर्शाया है I उक्त अधिक खपत 129 किलोग्राम सरिया का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 240 दिनांक 4-09-2018 को सचिव ग्राम पंचायत खड्डु के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया I अतः उक्त कार्य हेतु खपत कारक (consumption factor) के अनुसार खपत न दर्शाकर अधिक खपत किए गए 129 किलोग्राम सरिया को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक खपत की किए गए 129 किलोग्राम सरिया ₹39 प्रति किलोग्राम की दर से मूल्य ₹5031 की वसूली सम्बन्धित से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए I

15 लोकल गेडा के रूप में किये गए ₹0.77 लाख के संदिग्ध भुगतान बारे :-

जाँच के दौरान पाया गया कि माह 2/17 के दौरान मनरेगा से निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्य "कच्चा रास्ता शिंगारा सिंह शमशान घाट से राम जी के खेत तक" के लिए

386 लोकल गेडा के रूप में श्री राकेश कुमार सुपुत्र श्री रोशन लाल गांव व डा० खड्डु को निम्न विवरणानुसार ₹77200 का भुगतान किया गया है I

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	105	लोकल गेडा	211	200	42200
2	106	लोकल गेडा	175	200	35000
		योग	**₹386**		**₹77200**

उपरोक्त उल्लेखित बिल/वाउचरों में यह उल्लेखित नहीं है कि क्या सामान, किस तिथि को कहाँ से कहाँ तक लाया गया व एक लोकल गेडा में कितनी दूरी तय की गई है, तथा किस वाहन में किया गया है केवल लोकल गेडा की संख्या, दर व राशि दर्ज की गई गई I उक्त विवरण के अभाव में किए गए भुगतान को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता एवं किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है I उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 245 दिनांक 4-09-2018 के अन्तर्गत अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत खड्डु के ध्यानार्थ लाया गया I लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया I अतः इस प्रकरण की उच्च अधिकारियों से जांच की जानी वांछित है I यदि यह कार्य वास्तव में हुआ है तो इससे सम्बन्धित विवरण/अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना को सिरे से नकारा जा सकेI

16 अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय निर्माण सामग्री की मात्रा की मापन ईकाई को ट्राली के रूप में गलत दर्शाना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: पी सी एच - एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-07-2016 के अनुसार "ग्राम पंचायत रेत, बजरी, पत्थर, सीमेंट व लकड़ी आदि के क्रय के सन्दर्भ में निर्धारित ईकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत, बजरी निर्धारित घन फुट (cubic foot) के अनुसार" परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत खड्डु द्वारा अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में क्रय रेता, बजरा, बजरी पत्थर की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति एवं जारी/खपत प्रविष्टियाँ ट्राली के रूप में दर्ज की गई व तदानुसार माप पुस्तिकाओं में कार्य का मूल्यांकन करते समय सम्पूर्ण सामग्री जैसे कि रेता, बजरा, बजरी पत्थर इत्यादि को ट्राली के रूप में दर्शाया गया हैI जो कि कार्य नियमों की गम्भीर अवहेलना होने के साथ-साथ अव्यवहारिक एवं आपतिजनक है एवं नियमानुसार निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में क्रय रेता, बाजरा, बजरी पत्थर इत्यादि की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में ही मापा जा सकता है व ट्राली के रूप में मापन असम्भव हैI अतः निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में रेता, बजरा, बजरी, पत्थर की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में क्रय न करके ट्राली के रूप में क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में रेता, बजरा, बजरी, पत्थर की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए I अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएI

17 स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करना:-

आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वितीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किये गए ₹30000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से स्त्रोत पर आयकर की कटौती की जानी अपेक्षित है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्त्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की गई है। अतः अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करने के कारण स्पष्ट किए जायें व भविष्य में विहित प्रावधानों के अनुसार स्त्रोत पर आयकर की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

18 नीलामी करने से पूर्व निर्धारित/ आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण न करना:-

जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत खड्डु द्वारा वर्ष 2016 में आम के पौधों की नीलामी प्लाटों के अनुसार की गई I जिसका विवरण निम्नानुसार हैI लेकिन नीलामी करने से पूर्व निर्धारित/ आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं की गई हैं I

क्रम संख्या	प्लाट संख्या	नीलामी की राशि
1	1	10500
2	2	350
3	3	2100
4	4	3600
5	5	3400
6	6	1000
7	7	4100
8	8	1100
9	9	1000

(i) ग्राम पंचायत खड्डु द्वारा आम के पौधों की नीलामी अवधि 1-04-13 से 31-03-18 तक खुली बोली द्वारा बिना किसी प्रचार एवं प्रसार से की गई है I जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में नीलामी करने से पूर्व विस्तृत प्रचार एवं प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकेI

(ii) वोली से पूर्व किसी भी ठेकेदार से धरोहर राशि प्राप्त नहीं की गई है I जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में सभी वोलीदाताओं से धरोहर राशि प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाएI

(iii) सफल वोलीदाता से प्रतिभूति राशि प्राप्त नहीं की गई है I जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में सफल वोलीदाता से नियमानुसार प्रतिभूति राशि प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाएI

19 पंचायत भवन की धरातल मंजिल को बिजली बोर्ड को किराये पर देने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

कार्यवाही रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 30-08-2014 को प्रस्ताव संख्या- 21 के अनुसार पंचायत भवन की धरातल मंजिल को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के तय नियमों के अनुसार ₹4950 प्रति माह की दर से बिजली बोर्ड को किराये पर दिया गया है I लेकिन पंचायत भवन की धरातल मंजिल को बिजली बोर्ड को किराये पर देने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गयाI अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाएI

20 पंचायत राजस्व से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख-रखाव न किया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 74(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत को वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख-रखाव करना होगाI परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है व न ही अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गयाI इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाएI

21 **नियमानुसार निवेश न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Fund) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेश किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके I परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया थाI जबकि वितीय स्थिति के अवलोकन में यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध थाI नियमानुसार निवेश न करने के कारण पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा हैI इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार निवेश करना सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएI

उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप -1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित हैI अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार निवेश रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाएI

22 **स्टोर सामग्री का क्रय व उपायन करने के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना:-**

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से निम्नलिखित विधि से एक उप समिति गठित करेगी l

(क) ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिवl

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत खड्ड द्वारा स्टोर (सामान) का क्रय करने व उपायन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया थाl जो कि पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) की अवहेलना है l अतः स्टोर (सामग्री) उपायन समिति के गठन के बिना क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय की गई स्टोर (सामग्री) को सक्षम अधिकारी से कर्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाएl

23 **ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करना :-**

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन

हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। सहभागी समिति निम्नलिखि सदस्य शामिल कर गठित की जानी अपेक्षित थी।

(i) सम्बन्ध ग्राम पंचायत का प्रधान/उप प्रधान
(ii) सम्बन्ध वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य
(iii) महिला मंडल से एक सदस्य
(iv) सम्बन्ध क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान से एक सदस्य

अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत खड्ड द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया था व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना स्वंय करवाए गए हैं, जो कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय – ण के उप नियम – 93 व पारदर्शी नियमों की अवहेलना है। अतः निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यो को सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य सहभागी समिति अथवा उप नियम – 93 (b) के अनुसार पंजीकृत संस्था जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल व वाटर शैड कमेटी इत्यादि के माध्यम से करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना:-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 व 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5	विभिन्न अनुदानों के बही खाते	7	29(1)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)

25 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड का रख-रखाव न करना:-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख रखा जाना अनिवार्य है।

(i) रोजगार रजिस्टर (B-9)

(ii) शिकायत रजिस्टर (B-11)

(iii) आवेदन पंजीकरण रजिस्टर (B-7)

ग्राम पंचायत खड्ड द्वारा उपरोक्त अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया l अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाएl

26 **बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित थाl परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था I इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है I इस प्रकार सचिवद्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार /अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाएl

27 **रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर नियमानुसार न रखा जाना:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत /जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप "4" के अनुसार बनाये गए स्टॉक रजिस्टर में रखे I परन्तु ग्राम पंचायत खड्ड द्वारा रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है I अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाएI

28 **भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित हैl परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाएl

29 **लघु आपति विवरणिका:-** यह अलग से जारी नहीं की गई हैl

30 **निष्कर्ष:-**लेखों के रख-रखाव में सुधार के अतिरिक्त पंचायती राज अधिनियम में विहित नियमों की कड़ाई से अनुपालना की जानी नितांत जरूरी है l

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्याः- फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(v) 44/2018 खण्ड-1-7991-7994 दिनांक 29.11.18

शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत खडड, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, ऊना जिला ऊना हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हरोली, तहसील हरोली, जिला ऊना हि0प्र0।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881